

प्रेषक,

गोपाल मोणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर/लखीसराय/नवादा ।

पटना, दिनांक:-

22-12-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मॉग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	समस्तीपुर	06	30000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-1191 दिनांक-16.12.17 के आलोक में ।
2	तदैव	पूर्णियाँ	03	15000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-1168 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
3	तदैव	मुजफ्फरपुर	03	15000	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1872 दिनांक-08.12.17 के आलोक में ।
4	तदैव	लखीसराय	02	10000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक-369 दिनांक-18.12.17 के आलोक में ।
5	तदैव	नवादा	22	110000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-920 दिनांक-16.12.17 के आलोक में ।
	कुल योग		36	180000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरान्त अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

22/12/17

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

अमायुक्त, बिहार।  
(गोपाल मोण)

22/12/12

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संभारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जावेगा।

शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पै.सं.पै.सं.-438(अम पक्ष) दि.-21.12.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (अम पक्ष) एवं व्यय विवरणी

अमायुक्त/संबंधित अम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त अमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके

आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आल सचिव, अम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय

आपांक:-6/एफा-304/17 अ0सं0- पटना, दिनांक

अमायुक्त, बिहार।  
(गोपाल मोण)

22/12/12

प्रतिलिपि- महासेवाकार, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपांक:-6/एफा-304/17 अ0सं0- पटना, दिनांक

98-18-17

107